भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †4334

दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी

†4334. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर के प्रमुख और लघु खनिज क्षेत्रों में कार्यरत महिला खनिकों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत महिला खनिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में महिला खनिकों के लिए कार्य परिस्थितियों, वेतन समानता, सुरक्षा मानकों और सामाजिक सुरक्षा लाभ की सुलभता तक पहुंच का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षित कार्यस्थल और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए खनन कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क): श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत खानों में खनन सुरक्षा और रोज़गार की स्थिति शासित होती है। उस मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में धातुकर्म खानों में कार्यरत महिलाओं की संख्या का डेटा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग): श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता

(ओएसएच एंड डब्ल्यूसी), 2020 को लागू किया है जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हैं। ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020, खानों के साथ-साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में महिला श्रमिकों सहित कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों को विनियमित करती है। ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अनुसार, महिला श्रमिक सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में काम कर सकती हैं। इसके अलावा, महिलाएं अपनी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं और नियोक्ता महिला श्रमिकों को सुरक्षा, सुविधाएं और परिवहन प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान उपयुक्त स्थानों पर अलग-अलग या सामान्य शिशुगृह सुविधा प्रदान करते हैं।

ओएसएच एवं डब्ल्यूसी कोड, 2020 की धारा 23 में, कर्मचारियों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियोक्ताओं की जिम्मेदारी अर्थात् पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग शौचालय, पेय जल आदि विनिर्दिष्ट की गई है, जबकि धारा 24 में, प्रतिष्ठानों में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी सुविधाओं जैसे कैंटीन, धुलाई की सुविधा, स्नान स्थल आदि का प्रावधान है।
